प्र.सं. 12/2021 सुखलाल बनाम भंवरलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.12.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ई रमण्ड में आराजी नंबर 5, 2, 3, 4 व 47 कुल किता 5 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें सुखलाल पिता पेमा व मिठूलाल पिता छोगा का 1/6 हिस्सा दर्ज था तथा वादी भंवरलाल पिता गुलाब के खाते आराजी नंबर 1059 रकबा 18 बिस्वा दर्ज था। सुखलाल व मीठूलाल के हिस्से की 4 बीघा भूमि एवं वादी के पिता गुलाब के खाते की आराजी नंबर 1059 रकबा 18 बिस्वा में वादी के पिता का हिस्सा 2 बीघा 10 बिस्वा का वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी नंबरों की अदला–बदली करने हेतु दिनांक 22.10.88 को एक इकरार पत्र निश्पादित कर आपस में अदला–बदली कर कब्जा अपनी 2 भूमि का एक दूसरे को कर दिया तथा सुखलाल व मीठूलाल की भूमि 4 बीघा ज्यादा होने से गुलाब जी द्वारा उन्हें 1800/– रूपये अदा किये। मीठूलाल ने उक्त 4 बीघा भूमि में से 2 बीघा भूमि की रजिस्ट्री दिनांक 04.08.2017 को करवा दी। वादी के पिता गुलाब जी की मृत्यु वर्श 2011 में होकर माफिक इकरार अपनी 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि की रजिस्ट्री दूसरे पक्षकार के हक में करवा दी, किन्तु प्रतिवादी माफिक इकरार रजिस्ट्री कराने से मना करते हैं, जबकि माफिक इकरार वादी का उसके पिता के समय से कब्जा 4 बीघा एवं सुखलाल के 1/12 हिस्सा पर कब्जा दिनांक 22.10.88 से आज दिनांक तक चला आ रहा है, जिसे 29 वर्श हो चुके हैं। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित कुल किता 5 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा में प्रतिवादी के 1/12 हिस्से में से 2 बीघा भूमि का वादी को खातेदार घोशित किया जाकर निशेधाज्ञा दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.08.2019 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 26.07.2021 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री मनन भार्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमले । चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी एवं उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय की जानकारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:08:43 IST
Reason: SelfAttested

उन्हें दिनांक 06.07.2021 को हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील मयाद में कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

जहां तक गुणावगुण का प्र न है, दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय बेबुनियाद आधार पर पारित किया है। अपीलान्ट को उक्त प्रकरण की तामील नहीं होने से इसकी जानकारी नहीं थी एवं अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने अनरजिस्टर्ड एवं अनस्टाम्पड इकरार पत्र के आधार पर वाद डिक्री किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि अनुकूल बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण कायमी तनकियात पर चल रहा था, किन्तु बिना तनकियात कायम किये वादी/रेस्पोन्डेन्ट की एकपक्षीय बहस सुनकर अनरजिस्टर्ड एवं अनस्टाम्पड इकरार पत्र के आधार पर वाद डिक्री किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण सं. 5/2018 निर्णय दिनांक 07.08.2019 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देकर एवं सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.02.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 14.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2022.01.03 12:08:43 IST
Reason: SelfAttested

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर